

झारखण्ड सरकार,
कल्याण विभाग,
उप निदेशक, कल्याण कार्यालय,
पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर।
नामांकन संबंधी सूचना वर्ष -2017

पलामू प्रमण्डल, अन्तर्गत कल्याण विभाग द्वारा संचालित निम्नलिखित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़ी जाति आवासीय विद्यालयों में वर्ग प्रथम, षष्ठ, सप्तम एवं नवम में वर्ष 2017 के रिजल्ट के अनुसार नामांकन हेतु इच्छुक छात्र/छात्राओं से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र दिनांक 15.03.2017 तक आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र सम्बन्धित विद्यालयों में जमा किये जायेंगे।

जिला	विद्यालयों का नाम	नामांकन का वर्ग
पलामू -	अनु० जाति आवासीय उ०वि०, कौआखोह, पलामू। पिछड़ी जाति बालिका आवासीय उ०+2 वि०, झाहपुर, पलामू। अनु०जाति बालिका आवासीय प्राथमिक विद्यालय, लेस्लीगंज, पलामू। अनु०जाति बालिका आवासीय प्राथमिक विद्यालय, डूमरी, छत्तरपुर, पलामू।	वर्ग प्रथम, सप्तम एवं नवम वर्ग षष्ठ एवं नवम (केवल बालिका हेतु) वर्ग प्रथम (केवल बालिका हेतु) वर्ग प्रथम (केवल बालिका हेतु)
लातेहार -	राजकीय अ०ज०जा० आवासीय उ०वि०, महुआड़ा, लातेहार। राजकीय अ०ज०जा० आवासीय उ०वि०, गारू, लातेहार। अनु०जन-जाति आवासीय मध्य विद्यालय, डोमाखाड़, लातेहार। अनु०जन-जाति आवासीय मध्य विद्यालय, छिपादोहर, लातेहार। अनु०जन-जाति आवासीय मध्य विद्यालय, हेन्देहास, बरवाडीह, लातेहार। अनु०जाति आवासीय प्राथमिक विद्यालय, होटबाग, लातेहार। अनु०जाति आवासीय प्राथमिक विद्यालय, हड़गड़वा, चन्दवा, लातेहार। आदिम जन जा० आ० प्राथमिक विद्यालय, ऑवरार्टांड, मनिका लातेहार। आदिम ज०जा० बालिका आवासीय प्रा० विद्यालय, कुटमू, लातेहार। आदिम ज०जा० बालिका आवासीय प्रा० विद्यालय, नेतरहाट, लातेहार। अनुसूचित जाति आवासीय प्राथमिक विद्यालय, बालुमाथ, लातेहार। अनु०जा० बालिका आवासीय प्रा० विद्यालय, बनियों, लातेहार। अनुसूचित जाति बालिका आवासीय प्राथमिक विद्यालय, गारू, लातेहार।	वर्ग सप्तम एवं नवम वर्ग सप्तम एवं नवम वर्ग प्रथम वर्ग प्रथम वर्ग प्रथम वर्ग प्रथम वर्ग प्रथम वर्ग प्रथम वर्ग प्रथम वर्ग प्रथम (केवल बालिका हेतु) वर्ग प्रथम (केवल बालिका हेतु) वर्ग प्रथम वर्ग प्रथम (केवल बालिका हेतु) वर्ग प्रथम (केवल बालिका हेतु) वर्ग षष्ठ एवं नवम (केवल बा० हेतु)
गढ़वा -	अनु०जा० बालिका आवासीय प्रा० विद्यालय, रमकण्ड, गढ़वा। राजकीय अ०ज०जा० आवासीय उ०वि०, कुदरूम, गढ़वा। राजकीय अ०ज०जा० आवासीय उ०वि०, चिनियों, गढ़वा। अनु० जाति आवासीय मध्य विद्यालय, रमकण्ड, गढ़वा।	वर्ग प्रथम वर्ग प्रथम (केवल बालिका हेतु) वर्ग प्रथम (केवल बालिका हेतु) वर्ग षष्ठ एवं नवम (केवल बा० हेतु) वर्ग प्रथम, सप्तम एवं नवम वर्ग सप्तम एवं नवम वर्ग प्रथम

1. आवेदन - पत्र प्रत्येक कार्य दिवस के दिन प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक सम्बन्धित विद्यालय में प्राप्त किये जायेंगे।
2. अनुसूचित जाति के विद्यालय में अस्वच्छ कार्य में लगे परिवार के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत तथा मुसहर एवं भुईर्यो जाति के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत स्थान नामांकन में सुरक्षित रहेगा। उसी प्रकार अनुसूचित जन-जाति के सभी उप जातियों के लिए संचालित आवासीय विद्यालयों में अनुसूचित आदिम जन-जातियों के लिए नामांकन में 25 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेगा। यदि उक्त कोटि की आरक्षित सीटों के लिए छात्र/छात्राओं उपलब्ध नहीं होते हैं तो प्रमण्डलीय उपनिदेशक कल्याण का अनुमोदन लेकर मैधा सूची से ही अन्य अनुसूचित जाति एवं जन-जाति की अन्य उपजातियों के बच्चों का नामांकन आरक्षित सीट के विरुद्ध किया जायेगा।
3. वर्ग 06, 07 एवं 09 में नामांकन हेतु लिखित जॉच परीक्षा ली जायेगी, जिसके लिए छात्रों को कम्प्लैट: 05, 06, एवं 08 कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
4. वर्ग प्रथम में नामांकन हेतु मौखिक परीक्षा 21.03.2017 को एवं 06, 07, एवं 09 में नामांकन हेतु लिखित परीक्षा 21.03.2017 को सम्बन्धित विद्यालयों में प्रातः 11.00 बजे से होगी।
5. वर्ग 06, 07 एवं 09 में नामांकन हेतु हिन्दी 50 अंको की 30 मिनट के लिए, गणित 50 अंको की 30 मिनट के लिए एवं विज्ञान 50 अंको की 30 मिनट के लिए कुल 90 मिनट में 150 अंकों की वस्तुनिष्ठ लिखित जॉच परीक्षा होगी।
6. वर्ग प्रथम में छात्र/छात्राओं के नामांकन हेतु 100 अंकों की सक्षात्कार होगी।
7. नामांकन हेतु चयनित छात्र/छात्राओं की सूची विद्यालयों के सूचनापट पर प्रकाशित की जायेगी।
8. नामांकन हेतु आवेदन-पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 15.03.2017 निर्धारित है।
9. नामांकन के समय चयनित छात्र/छात्राओं को जाति प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण-पत्र तथा वर्ग 06, 07, एवं 09 में नामांकन हेतु विद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. गरीबी रेखा से नीचे आय वाले परिवार के बच्चों को ही नामांकित किया जायेगा इसके लिए बी०पी०एल० की सूची में नाम अंकित होने के आधार पर नामांकन की पात्रता निर्धारित की जायेगी।
11. वर्ग 06, 07 एवं 09 में नामांकन हेतु उम्र सीमा दिनांक 01.04.2017 को कम्प्लैट: 12 वर्ष, 13 वर्ष, एवं 15 वर्ष के अन्दर होनी चाहिए।
12. वर्ग 06, 07 एवं 09 में नामांकन हेतु प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं को सम्बन्धित विद्यालय जहाँ वे अध्ययनरत हैं, के प्रधानाध्यापक उनके नामांकन आवेदन पत्र में अंकित छात्र/छात्राओं का नाम जन्मतिथि, वर्ग 05, 06 एवं 08 में उत्तीर्ण होने की तथ्य को आपने विद्यालय के मुहर एवं अपना पूर्ण हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित करते हुए नामांकन आवेदन पत्र अग्रसारित करेंगे साथ ही आवेदक को बी०पी०एल० परिवार के सदस्य होने का प्रमाण पत्र अपने आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
13. जिन छात्र/छात्राओं के माता-पिता सरकारी सेवा में कार्यरत हैं उनके बच्चों का नामांकन हेतु आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। इस अक्षय का घोषण-पत्र आवेदक के माता-पिता/अभिभावक के द्वारा आवेदन-पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
14. असत्य एवं फर्जी घोषण-पत्र देने वाले माता-पिता/अभिभावक के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कर्वाई की जायेगी।

नोट :- आवेदन का प्रारूप www.palamu.nic.in पर देखा जा सकता है।

कल्याण विभाग

नामांकन हेतु आवेदन पत्र

- 1 आवेदक/आवेदिका का नाम -
- 2 माता का नाम -
- 3 पिता का नाम -
- 4 अभिभावक का नाम -
- 5 स्थायी पता - ग्राम/मुहल्ला..... पोस्ट.....
थाना..... जिला.....
- 6 वर्तमान पता - ग्राम/मुहल्ला..... पोस्ट.....
थाना..... जिला.....
- 7 जाति -
- 8 जन्मतिथि -
- 9 विद्यालय का नाम जहाँ अभी अध्ययन कर रहा/रही है -
- 10 किस वर्ग में नामांकन चाहते हैं -
- 11 माता/पिता का वार्षिक आय -
- 12 छात्र/छात्रा किस वर्ग में पढ़ रहा/रही है -

पासपोर्ट साईज का
फोटो

प्रधानाध्यापक का प्रमाण पत्र (जहाँ छात्र/छात्रा पढ़ रहे/रही है)

प्रमाणित किया जाता है किमाता.....पिता.....
.....शिक्षण सत्र.....में हमारे विद्यालय में वर्गके नियमित छात्र/छात्रा है। प्रवेश पंजी के
अनुसार इनका कमांक.....दिनांक.....तथा जन्मतिथि.....

प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर

एवं मुहर

13. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे माता एवं पिता सरकारी सेवा में नहीं हैं साथ ही साथ आवेदन पत्र में अंकित सभी बातें सही हैं। यदि इनमें से किसी प्रकार की त्रुटि पायी जायेगी या मेरे द्वारा विद्यालय का अनुशासन भंग किय जायेगा तो विद्यालय में नामांकन नहीं होगा या नामांकन हटाने पर विद्यालय से निष्कासित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

माता/पिता/अभिभावक का हस्ताक्षर

आवेदक का हस्ताक्षर

घोषणा (केवल बालिकाओं के लिए)

शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि आवेदन पत्र में अंकित बातें सही हैं तथा मेरी पूत्री अविवाहित है। निर्धारित उम्र से पूर्व विवाह होने की स्थिति में यदि इनका नामांकन समाप्त होता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

माता/पिता/अभिभावक का हस्ताक्षर

प्रवेश पत्र

- 1 परीक्षा केन्द्र का नाम -
- 2 रॉल नं० -
- 3 आवेदक का नाम -
- 4 माता का नाम -
- 5 पिता का नाम -
- 6 नामांकन का वर्ग -
- 7 जॉच परीक्षा की तिथि -
- 8 परीक्षा का समय -

पासपोर्ट साईज का
फोटो

प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर
एवं मोहर

उप निदेशक, कल्याण,
पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर।